न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 28/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/251

अपीलाण्ट्स :–

1. गोरधनलाल पुत्र स्व. लुम्बाराम,
2. अचलाराम पुत्र स्व. लुम्बाराम,
3. लालाराम पुत्र स्व. लुम्बाराम,
4. स्व. मोतीलाल पुत्र स्व. लुम्बाराम के कायम मुकाम
   4/1. दाखु देवी पत्नी स्व. मोतीलाल
   4/2. विक्रम चौधरी पुत्र स्व. मोतीलाल
5. चुन्नीलाल पुत्र स्व. लुम्बाराम

तमाम जातिगण सीरवी, निवासीगण जनता कॉलोनी, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली(राज.)
2. भूराराम पुत्र दीपाजी
3. रतनलाल पुत्र दीपाजी
4. कन्हैयालाल पुत्र दीपाजी
5. स्व. मोहनलाल पुत्र दीपाजी के कायम मुकाम
   5/1. सविता पत्नी स्व. मोहनलाल
   5/2. मयंक पुत्र स्व. मोहनलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सविता पत्नी स्व. मोहनलाल
6. लैला पुत्री दीपा
7. ताराचन्द पुत्र विरदाराम
8. नारायणलाल पुत्र विरदाराम

तमाम जातिगण सीरवी निवासीगण चौधरियों का निचला बास, सूरजपोल पाली तहसील पाली जिला पाली

9. लक्ष्मी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति छाजेड़ जैन निवासी ए–36 वीर दुर्गादास नगर पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी
रेस्पो. 5/1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा

जिला कलेक्टर, पाली

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **30.09.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार पाली के आदेश दिनांक 22.06.2021 जो पाली चक द्वितीय के नामान्तरकण संख्या 3319 को अस्वीकृत करने संबंधी आदेश को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 5/1 की ओर से अधिवक्ता अशोक अरोड़ा वक्त बहस उपस्थित हुए शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वक्त बहस अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

Scanned with ACE Scanner

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करने का जो आधार बताया वह पूर्णतया विधि के प्रावधानों के विपरीत है जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा लगाये गये आक्षेपों के संबंध में सुनवाई हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं लम्बे समय तक लम्बित रखने के बाद बिना सुनवाई एवं सूचना के अपीलाधीन आदेश पारित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर पाली के वाद में उभयपक्षों की सहमति से जारी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित डिक्री राजस्व वाद संख्या 06/2014 दिनांक 30.06.2018 के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण पर संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार एवं न्याय क्षेत्र से परे जाकर सहायक कलक्टर पाली द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध उक्त नामान्तरकरण पर आक्षेप अंकित किये व इन आक्षेपों के आधार पर तहसीलदार ने जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया। यदि भूमिधारी सहायक कलक्टर पाली के निर्णय व डिक्री से व्यथित थे तो अपीलीय न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई अपील पेश नहीं की गई। सहायक कलक्टर पाली द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसमें मात्र प्राथमिक डिक्री में यह लिखा कि यदि किसी रूप से कानूनन स्टाम्प ड्यूटी बनती है तो जमा करे जबकि जैर आराजी खरीदशुदा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर पारित किया गया जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में हमारे द्वारा बहस सुनी गई तथा पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर पाली के वाद में उभयपक्षों की सहमति से जारी विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित डिक्री राजस्व वाद संख्या 06/2014 दिनांक 30.06.2018 के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण पर संबंधित गिरदावर द्वारा जो टिप्पणियां अंकित की गई है वे तकनीकी एवं न्यायालय के आदेशों की पालना के स्थान पर न्यायालय के अपीलीय अधिकारी के रूप में उक्त आदेश की क्रियान्विति की जगह ऐसे आक्षेप अंकित किये है जो अपील की प्रकृति के अर्थात् जिनकी विधिक उपादेयता नहीं है। संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त टिप्पणी के आधार पर तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने का आदेश दिनांक 22.06.2021 को पारित किया है। राजस्व न्यायालय की गरिमा, मर्यादा एवं विधिकता से प्रतिकूल संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जो टिप्पणियां अंकित कर न्यायालय के आदेश की डिक्री की अपील हेतु स्वतंत्र थे फिर भी निराधार विधि से परे जाकर जो टिप्पणियां की है, वे आलोच्य है। अतः तहसीलदार, पाली को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित गिरदावर से उक्त संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर इस न्यायालय को 15 दिवस में भिजवाया जाये तथा प्रकरण में न्यायालय आदेश की पालना में यदि वे असंतुष्ट हो तो सक्षम न्यायालय में अपील दर्ज करवाये अन्यथा उक्त न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित करे। आवश्यकतानुसार मौके एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति की जांच भी

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

कर लेवे। उक्त निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 3319 पर पारित निर्णय दिनांक 22.06.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे 02 माह की अवधि में विधिवत् जांच कर उक्त निर्देशों की पालना करते हुए नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **28.11.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner